





<p>तारीख हुस</p>	<p>हुस या कार्यवाही मय इनिशियल्स खस</p>	<p>नम्बर व तारीख अन्वयता या नस हुस की तारीख में जारी हुस</p>
<p>14/1/23</p>	<p>वकील प्रार्थी / जज... उपरिष्ठत, पत्रावली... दिनांक 24/1/23 को...  निबन्धक न्यायालय</p>	<p>24/1/23 को... तामि... दिनांक 24/1/23 को... निबन्धक न्यायालय 24/1/23</p>
<p>13-1-25</p>	<p>वकील प्रार्थी / जज... उपरिष्ठत, पत्रावली... दिनांक 24-1-25 को...  निबन्धक न्यायालय</p>	<p>24-1-25 को... तामि... दिनांक 24-1-25 को... निबन्धक न्यायालय 24-1-25</p>
<p>24-2-25</p>	<p>वकील प्रार्थी / जज... उपरिष्ठत, पत्रावली... दिनांक 28-1-25 को...  निबन्धक न्यायालय एकल पीठ</p>	<p>28-1-25 को... तामि... दिनांक 28-1-25 को... निबन्धक न्यायालय एकल पीठ</p>
<p>28/4/25</p>	<p>श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी, सदस्य पत्रावली में देखा हुआ। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को बार-बार हक-हक कर अगवाज लगाई गई। आवृत्ति सूचना को उपरिष्ठत नहीं है। अतः वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के उपरिष्ठत नहीं होने के कारण पत्रावली अलग हाजरी व अलग में से खारिज की जाती है। पत्रावली फेसलुमवार होकर जाइ कार्यवाही शरिफ इफ्तार हो। आदेश सुनाया गया।  सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</p>	<p>28/4/25 को... तामि... दिनांक 28/4/25 को... निबन्धक न्यायालय एकल पीठ</p>